| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रार्थना पत्र प्र. सं. 56/2014 (2014/00141) | |
| | सज्जन कंवर v/s नारायण सिंह राजपूत नि. खेमाणा | |

4.2.2020 पत्रावली पेश हुई. उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण मे विपक्षीगण क्रमांक 1 व 2 उपस्थित हुए किन्तु कोई जवाब पेश नही किया, विपक्षी क्रमांक 3 की ओर से जवाब मय काऊन्टर क्लेम पेश किया जो शामिल पत्रावली है. विपक्षी 3 की ओर से प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम का कोई जवाब पेश नही किया. प्रकरण मे दिनांक 4.4-2014 को एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। प्रकरण काफी पुराना है इतनी लम्बी अवधी तक प्रार्थना पत्र पेन्डिंग रखना न्याय हित मे नही है।

प्रकरण मे बहस सुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की इस्तदुआ की गयी।

विपक्षी अधिवक्ता का मुख्य कथन रहा कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त आराजी पैत्रिक नही कुछ आराजीयात स्व. जोरावर सिंह जी की स्वअर्जित भूमि थी जिसके साबिक नम्बर 359/2 व 290/2 थे साबिक आ.नं 359/2, 361, 361 से नवीन आराजी 726/259 है व 726/0.47 है भूमि दर्ज हुई इसी तरह खसरा न 290/2 रकबा 3 बीघा के नवीन आ.न 736/0.01 है 737/0.65 है जिसका रकबा 0.65 है भूमि दर्ज हुई जो वादीगण की पैत्रिक नही है फिर भी वाद व प्रार्थना पत्र मे दर्ज की गयी है जो गलत है प्रार्थना पत्र निरस्त करावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड व बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पैत्रिक

[signature]

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रार्थना पत्र प्र. सं. 56/2014 (2014/00141)<br>सज्जन कवर V/S नारायण सींह राजपूत नि. खेमाणा | |
| 4-2-2020 | पत्रावली पेश हुई. उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण मे विपक्षीगण क्रमांक 1 व 2 उपस्थित हुए किन्तु कोई जवाब पेश नही किया, विपक्षी क्रमांक 3 की ओर से जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया जो शामिल पत्रावली है. विपक्षी 3 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का कोई जवाब पेश नही किया. प्रकरण मे दिनांक 4.4.2014 को एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। प्रकरण काफी पुराना है इतनी लम्बी अवधी तक प्रार्थना पत्र पेन्डिंग रखना न्याय हित मे नही है।<br>प्रकरण मे बहस सुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की इस्तदुआ की गयी।<br>विपक्षी अधिवक्ता का मुख्य कथन रहा कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त आराजी पैत्रिक नही कुछ आराजीयात स्व. जोरावर सिंह जी की स्वअर्जित भूमि थी जिसके साबिक नम्बर 359/2 व 290/2 थे साबिक आ.नं. 359/2, 361, 361 से नवीन आराजी 726/2.59है व 726/0.47है भूमि दर्ज हुई इसी तरह खसरा न 290/2 रकबा 3 बीघा के नवीन आ.न 736/0.01है 737/0.65 है जिसका रकबा 0.65है भूमि दर्ज हुई जो वादीगण की पैत्रिक नही है फिर भी वाद व प्रार्थना पत्र मे दर्ज की गयी है जो गलत है प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।<br>मेने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड व बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पैत्रिक<br>[signature] | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्रकरण संख्या 56/2014 (2014/00141) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | नही करे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे कोई बाधा उत्पन्न न हो स्वयं करे न अन्य से करावे. रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति कायम रखे।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील रजिस्टर के नम्बर से कम हो।<br>निर्णय आज दिनांक 4.2.2020 को सुनाया।<br>(हस्ताक्षर)<br>(सुन्दरलाल बाम्बोड़ा)<br>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), रायपुर (भीलवाड़ा) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.06 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: